(ग) छठी, सातवीं योजना के अंत तक और 8वीं योजना के प्रारंभ में सिंचाई की प्रतिष्ठापित क्षमता और इसके उपयोग के अंतर क्रमशः 2.37 मिलियन हेक्टेयर 3,51 मिलियन हेक्टेयर और 3.42 मिलियन हेक्टेयर रहे ।

(घ) से (च) सृजित क्षमता और इस उपयोग के मध्य अन्तर रहेगा चूंकि नई क्षमता निरन्तर सृजित की रही है । तथापि, केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आन फार्म विकास कार्य पूरे करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमाओं के बारे में राज्य सरकारों को जनवरी, 1991 में सूचित किया गया था :

(क) नई परियोजनाएं

(i) 10,000 हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र वाली परियोजनाएं	5 वर्ष
(ii) 10,000 से 50,000 हेक्टेयर तक	8 वर्ष
(iii) 50,000 से 1,00,000 हेक्टेयर तक	10 वर्ष
(iv) 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक	15 वर्ष

(ख) चल रही परियोजनाएं

फील्ड चैनलों के अन्तर्गत शामिल करने के लिए शेष कृष्य कमान क्षेत्र

(क) 1,00,000 हेक्टेयर तक	5 वर्ष
(ख) 1,00,000 से 2,00,000 हेक्टेयर तक	8 वर्ष
(ग) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक	10 वर्ष

भूमिगत जल की उपलब्धता

1904. श्री राम जेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जल के लगातार दुरुपयोग के कारण, भूमिगत जल की उपलब्धता में कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1950-51 और 1990-91 के दौरान देश में भूमिगत जल की उपलब्धता के संबंध में प्रति व्यक्ति औसत क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने देश में भूमिगत जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस योजना के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होने का अनुमान है तथा इस योजना के अंतर्गत कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए अंतिम निर्णय ले लिया है ; और

(च) यदि हां, तो इस योजना का कार्यान्वयन कब शुरू किया जाएगा और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) देश के कुछ क्षेत्रों में भूतल उपलब्धता की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और कुछ में घट रही है ।

(ख) जहां तक प्रति व्यक्ति औसत भूमिगत जल उपलब्धता का संबंध है, वर्ष 1950–51 के दौरान कोई विशिष्ट आकलन नहीं किए गए । तथापि, 1990-91 के दौरान प्रतिव्यक्ति भूमिगत जल की उपलब्धता 535 घनमीटर का पता लगाया गया है ।

(ग) से (च) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने कृत्रिम भूजल के पुनर्भरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है । योजना पर संबंधित अभिकरणों से परामर्श किया जा रहा है । इसलिए, इस अवस्था में इसके कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता ।

Review of Sardar Sarovar Project

1905. SHRI G. G.SWELL:
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI ANANTRAY DEV-SHANKER DAVE:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether review of Sardar Sarovar Project is untenable under Narmada Tribunal Award given to decades ago;

(b) whether it is all possible to change the design at this stage of its implementation; and

(c) whether any change or reduction in the height of the dam would deprive the prospects of availability of drinking water to more than 5000 villages of Kutch and Saurashtra chronically under the threat of famine and scarcity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) As per clause XVI of the Narmada Water Dispute Tribunal Award, parameters of the Sardar Sarovar Dam like its height for full reservoir level, maximum water level, etc., are subject to review at any time after a period of 45 years only from the date of publication of the decision of the Tribunal in the Official Gazette. The Award was published in the Official Gazette on 12-12-79 and as such these parameters can be review after the year 2024.

(c) Yes, Sir.

Farmers' participation in irrigation management

1906. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Central Government have taken any steps to encourage farmers' participation in irrigation management; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) Union Ministry of Water Resources is providing Central assistance under Centrally Sponsored Command Area Development Programme as management subsidy at the rate of Rs. 50 per hectare for the first 2 years and Rs. 37.50 per hectare for the 3rd year for the farmers' associations formed at minor level for taking over management of water distribution below minor level.

Central assistance is also admissible on matching basis with the States as grant for taking up farmers' training and undertaking action research programme in the command covered under the Central Sponsored Command Area Development Programme.

Rehabilitation of the oustees of the Polavaram Project

1907. SHRI G. PRATHAPA REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the Central Government have issued any instructions to the Government of Andhra Pradesh regarding formulation of the rehabilitation and resettlement Plan for the tribal oustees of the Polavaram Project;